आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारिख सहित 3
12/4/17	**आदेश** अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0– 150/16–17 सरकार बनाम् जितेन्द्र पासवान का मामला पुलिस अधीक्षक, बांका के पत्रांक–423/सी0आर0 दिनांक–13.02.17 द्वारा समर्पित प्रस्ताव के आधार पर जप्त वाहन के संबंध में अधिहरण की कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। इस संबंध में बांका (बाराहाट) थाना कांड सं0–975/16 दिनांक–13.12.16 दर्ज हुआ है एवं शराब का अवैध कारोबार करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। विदेशी शराब कुल–21 बोतल तथा देशी शराब कुल–780 पाउच मौके पर पकड़ा गया एवं संबंधित की सलिप्तता के आलोक में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। अंतरिम आदेश के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक–271 दिनांक–17.03.17 द्वारा जप्त विदेशी/देशी शराब के विनिष्टीकरण हेतु उत्पाद अधीक्षक, बांका को आदेश दिया गया। साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी, बांका को भी जप्त वाहन का मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी, बांका से मूल्यांकन प्रतिवेदन अप्राप्त है। जप्त व प्रयुक्त टेम्पु नं0– बी0आर0–51पी0–0181 के वाहन स्वामी पुनित दास, पे0–राज दास, सा0–मंजीरा, थाना–बांका, जिला–बांका अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए तथा वाहन विमुक्ति के आवेदन पत्र के साथ कागजातों की छाया–प्रति दाखिल किया गया। निर्धारित तिथि पर सुनवाई की गयी। वाहन स्वामी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अर्ज किया गया कि उक्त टेम्पु के चालक द्वारा अवैध देशी/विदेशी शराब ले जाया जा रहा था जिसकी जानकारी उन्हें नहीं है। बैंक से ऋृण प्राप्त वाहन क्रय किया गया है जिसके किस्त का भुगतान करने में असमर्थ हो रहे हैं। आगे अपने देख–रेख में वाहन का परिचालन कराया जायेगा। पुनः दुबारा ऐसे कार्य में गाड़ी का दुरूप्रयोग नहीं करेंगे। विशेष लोक अभियोजक, मद्यनिषेध द्वारा वाहन स्वामी के कथन का प्रतिवाद दर्ज कर बताया गया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बांका के पर्यवेक्षण टिप्पणी में यह बात साबित हुई है कि दिनांक–13.12.16 को भेड़ा मोड़ पर पुलिस गाड़ी को देखकर टेम्पु (बी0आर0–51पी0–0181) के चालक व मालिक जितेन्द्र पासवान, पे0–सुरेश पासवान टेम्पु तेजी से लेकर भाग रहा था एवं पिछा करने पर टेम्पु चालक ने भूलो राउत के घर के सामने टेम्पु छोड़कर भाग गये एवं टेम्पू की तलाशी करने पर टेम्पू के पीछे वाली सीट के नीचे तीन बोरा में देशी/विदेशी शराब था एवं टेम्पू चालक के सीट के नीचे वाले सीट के नीचे एक बोरा में देशी शराब रखा था। कुल मिलाकर 200 एम0एल0 का 780 पाउच (देशी शराब) एवं विदेशी इम्पीरियल ब्लू 170 एम0एल0 का 21 बोतल था। बहस के आलोक में अभिलेख का परीक्षण किया गया। विदित है कि राज्य में पूर्णरूपेण शराबबंदी है। प्रयुक्त वाहन द्वारा अवैध रूप से देशी/विदेशी शराब का कारोबार किया गया है। काफी मात्रा में देशी/विदेशी शराब मौके पर पकड़ा गया है। पुलिस प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों से इस बात की सम्पुष्टि होती है कि झारखण्ड राज्य से तस्करी हेतु शराब ला रहे थे जिसे पुलिस गश्ती के दौरान पकड़ा गया। फलस्वरूप इसे नजरअंदाज नही किया जा सकता है। वाहन स्वामी द्वारा सफाई में बहानेबाजी की गयी है। तथ्य यह है कि वाहन स्वामी ही चालक थे तथा शराब के साथ वाहन जप्त होने पर बाद में सोच समझकर चालक को बीच में लाया गया है जबकि टेम्पू स्वयं वाहन स्वामी ही चला रहे थे। वाहन स्वामी झूठ बोल रहे है। शराब की तस्करी की गयी है जिसमें उन्होनें अपने वाहन का प्रयोग किया है। फलस्वरूप जप्त वाहन विमुक्त करने योग्य नहीं है। अधिनियम की धारा 56 के अनुसार जब कभी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाता है तो निम्नलिखित वस्तुएँ अधिहरण की भागी होंगी यथा– (घ) उसे ढोने के काम में लाये जानेवाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।	

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में विचारोपरांत वाहन विमुक्ति के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है तथा टेम्पू (बी0आर0–51पी0–0181) को अधिनियम के अधीन शराब के अवैध कारोबार में प्रयुक्त करने के दण्डनीय अपराध के आरोप में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–58 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकार के पक्ष में राज्यसात करने का आदेश देता हूँ।

जिला परिवहन पदाधिकारी, बांका को निदेशित किया जाता है कि वाहन का मूल्यांकन प्रतिवेदन अविलंब उत्पाद अधीक्षक, बांका को उपलब्ध करायें तथा उत्पाद अधीक्षक, बांका को आदेश दिया जाता है कि मूल्याकंन प्रतिवेदन के आलोक में वाहन की खुली निलामी करें तथा निलामी से प्राप्त राशि सरकार के विहित शीर्ष में जमा कर अनुपालन प्रतिवेदन देगे।

सभी संबंधित को अनुपालनार्थ सूचित करे।

तद्आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

12.4.17

समाहर्त्ता,
बांका।

12.4.17

समाहर्त्ता,
बांका।